



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

किसानों से अपील

भारत सरकार ने एनएससी को बीज की बिक्री के लिए किसानों से 500/- रू. के पुराने नोट स्वीकार करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

एनएससी, किसानों से उनके पास उपलब्ध पुराने 500/- के नोटों से बीज खरीदने के लिए अपील करती है। किसानों के लिए यह सुविधा मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रक्षेत्र कार्यालयों, बीज प्रसंस्कारण प्लांटों, गोदामों एवं प्राधिकृत आउटलेट्स पर उपलब्ध है।

किसानों से अनुरोध है कि वह अपने द्वारा खरीदे गए बीजों के लिए जमा करवाई गई नकदी की रसीद, बिल/इनवॉयस अवश्य प्राप्त करें।

APPEAL TO FARMERS

Govt. of India has allowed NSCL to accept Rs. 500/- old denomination notes from farmers for sales of seeds.

N.S.C appeals farmers to purchase seeds against Rs. 500/- old denomination notes available with them. The facility shall be available at Head Office, Regional Offices, Area Offices, Seed Processing Plants, Godowns and other authorized outlets opened by N.S.C. for convenience of farmers.

Farmers are requested to necessarily obtain the Bills/ Invoice and Receipt for Cash deposition towards their purchase of seed.
